राज्य मानवाधिकार आयोग को दिया काररवाई का निर्देश

कोरोना काल मे उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था एवं मरीजों को हो रही परेशानी के संबंध मे क्रांति फाउंडेशन द्वारा की गयी शिकायत पर राष्ट्रीय अथवा उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर श्री सिंह ने १८ अप्रैल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी जिसका संज्ञान

शिकायत पर राष्ट्रीय दर्ज करायी थी जिसका संज्ञान बत आ कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य राहु विस्थाका गणीय मानुवाधिकार आयोगने लिया संज्ञान

व्यवस्थाका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगने लिया संज्ञान मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ५ हुए केस दर्ज कर लिया है। इस मई को लिया तथा इस संबंध मे विषय पर शिकायतकर्ता व क्रांति दर्ज करायी गयी शिकायत की

गंभीरता को देखते हुए इसे मुकदमे

मे परिवर्तित कर दिया। इस संबंध मे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विषय को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत बताते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत बताते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को उचित कार्यवाई के लिए निर्देशित किया है। शिकायतकर्ता राहुल कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मे उन्होंने भारत के संविधान के आर्टिकल २१ तथा मरीजों के मूलभूत अधिकारों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से गुहार लगायी थी।

मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। इस विषय पर शिकायतकर्ता व क्रांति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल कमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विषय पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को काररवाई के लिए निर्देशित किया है। श्री सिंह ने बताया कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश मे अस्पतालों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। मरीज लगातार खाली बेडों और आक्सीजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कोविड व नान कोविड मरीजों को समय से अस्पतालों मे बेड व आक्सीजन न मिलने के कारण भारी परेशानी हो रही है तथा कभी कभी तो गंभीर मरीज देरी के कारण दम तोड़ दे रहे हैं। प्रदेश मे दवाओं व अन्य मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी चरम पर है जिससे कारण आम जनता को सामान्य दवाएं एवं मेडिकल उपकरण या तो अधिक दामों पर उपलब्ध हो रहे हैं

चुनाव: कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चुनाव आयुक्त से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

https://www.amarujala.com/india-news/national-human-rights-commission-seeks-action-report-on-violation-of-corona-guidelines-in-elections

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त और गृह सचिव से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने जवाब देने के लिए दोनों अधिकारियों को चार सप्ताह का समय दिया है।

मानवाधिकारों के जानेमाने वकील और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राधाकांत त्रिपाठी की याचिका पर आयोग ने दोनों अधिकारियों से एटीआर तलब की है। त्रिपाठी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान 'दो गज दूरी मास्क है जरूरी' के नारे की जमकर धिन्जयां उड़ रही हैं।

उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण और नियमन में चुनाव आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारों की कथित निष्क्रियता, लापरवाही और विफलता की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है।

Petition Filed With NHRC Over Deaths Due To Lack Of O2 Across India

Ghaziabad (Uttar Pradesh): A petition has been filed against the Central government with the National Human Rights Commission (NHRC) over the deaths caused by Covid-19 due to non-availability of oxygen. The petition has been filed by Human Rights activist Vishnu Kumar Gupta.

The petition said, "District hospitals and private hospitals in the country have neither installed oxygen plants nor have oxygen storage facilities whereas Pressure Swing Adsorption (PSA) plants can be set up at these places in lesser time and cost in a single month."

"The PSA oxygen plant costs exactly the amount which many hospitals spend every year to procure oxygen for themselves."

"There is a shortage of oxygen due to lack of its buffer stock in our country. If the government had taken into account the common man's Right to Life guaranteed in the constitution amid last year's coronavirus crisis, such a catastrophic situation would not have arisen had the buffer stock of oxygen and its production/supply been taken care of."

Advocate Gupta said, "The Central government has failed to assess the implications of this pandemic. The third wave of Covid-19 is expected in October 2021 so it becomes primary responsibility of the government that keeping in mind the current and future oxygen supply, it must make sure that PSA plants are set up expeditiously in all government district hospitals and private hospitals in the country."

"Saving the lives of the elderly and young people suffering from heart, cancer, hypertension and diabetes coupled with Covid-19 should also be the foremost duty of the Central government."

"Therefore, a request has been made to the NHRC to order the Central Medical and Health Department to get patients suffering from other comorbidities, including Covid-19, vaccinated immediately on priority basis."

Gupta has also sent a letter to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath apprising him of the need to improve the state's worrisome situation and urgently set up PSA oxygen plants.

(IANS)

https://ommcomnews.com/india-news/petition-filed-with-nhrc-over-deaths-due-to-lack-of-o2-across-india

जैन मुनियों व पाक विस्थापितों को बिना आधार के वैक्सीन लगाने के मामले में सरकार व कलेक्टर करें फैसला : मानवाधिकार आयोग

जोधपुर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपालकृष्ण व्यास ने जैन मुनियों व पाक विस्थापितों को आधार कार्ड के बिना कोरोना का टीका लगाने को लेकर पेश परिवाद पर सुनवाई की। आयोग ने यह परिवाद प्रदेश के मुख्य सचिव व कलेक्टर जोधपुर को भेजकर इस संबंध में निर्णय कर 20 मई से पूर्व रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

परिवादी कांग्रेस नेता व प्रोफेसर अय्यूब खां ने आयोग के अध्यक्ष को परिवाद भेजकर बताया कि कोविड-19 के प्रति एंटीबॉडी विकसित करने के लिए कोविड टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में पाक विस्थापितों की ऐसी संख्या काफी है, जो कोविड-19 से प्रभावित है, लेकिन इनके पास आधार कार्ड नहीं है। इन्हें सोशल या सुपर स्प्रेडर बनने से बचाने के लिए आधार कार्ड की छूट प्रदान करते हुए विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाने की जरूरत है। इसी तरह भ्रमणशील जैन मुनियों तथा अन्य इसी प्रकार आधार कार्ड से वंचित नागरिकों के लिए भी विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए। इस पर मानवाधिकार आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए इस परिवाद की प्रति मुख्य सचिव व जिला कलेक्टर जोधपुर को भेजकर इस पर निर्णय का 20 मई से पूर्व रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

साधु-साध्वियों के वैक्सीन लगाने की मांग

राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जयमल जैन श्रावक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवराज बोहरा के नेतृत्व में जैन समाज के शिष्टमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर जैन साधु-साध्वियों के कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की मांग की। शिष्टमंडल में शामिल प्रकाश लूणिया ने बताया कि साधु-साध्वियों का श्रावकों व जनता से सीधा संपर्क रहता है। श्री साधुमार्गीय जैन संघ के उपाध्यक्ष सुबोध मिन्नी ने बताया कि कोरोना महामारी को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। शिष्टमंडल में महावीर जांगड़ा, उम्मेदराज लोढ़ा, कानराज मोहनोत, गौतम सांड, महेंद्र सुराणा, शरद सुराणा, घेवरचंद लूंकड़, माणक ललवाणी आदि शामिल थे।